<u>प्रेस नोट दिनाँक-02.03.2023</u>

(1). आज दिनाँक-02.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). आज दिनाँक-02.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). दिनांक 27.02.2023 को जनपद प्रयागराज में श्री उमेश पाल एवं उनकी सुरक्षा में लगे आरक्षी संदीप निषाद की हुई हत्या के वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु जनपद चित्रकूट के थाना राजापुर थानांतर्गत यमुना पुल कौशाम्बी बॉर्डर पर एवं थाना बरगढ़ अंतर्गत मुरका बॉर्डर पर पुलिस पिकेट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है।

(4). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवँ बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम एवं विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी छापेमारी में 09 अभियुक्तों के कब्जे से 150 लीटर कच्ची व 28 क्वार्टर देशी शराब बरामद की तथा 460 किलो लहन व 04 भट्टियों को नष्ट किया गया।

(i). थाना राजापुर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कस्बा राजापुर से अभियुक्ता प्रेमा देवी उर्फ कलावती उर्फ रजुलियम पत्नी रोशन सोनकर निवासी भैरम बाबा कस्बा व थाना राजापुर के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब व शराब बानने के उपकरणों बरामद किये तथा मौके से 250 किलो लहन नष्ट किया गया तथा ग्राम चिल्ली राकस से अभियुक्ता सुशील देवी पत्नी लवकुश निषाद निवासी चिल्लीराकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये तथा मौके से 100 किलो लहन नष्ट किया गया। अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

(ii). **थाना राजापुर पुलिस टीम** द्वारा ग्राम रीठी रुपौली से अभियुक्ता रजपतिया निषाद पत्नी छोटेलाल निषाद निवासी रीठी रुपौली थाना राजापुर के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये तथा मौके से 01 क्विंटल लहन नष्ट किया गया । अभियुक्ता के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

तथा उनकी टीम द्वारा कस्बा राजापुर में लूप लाइन के पास अभियुक्त रविशंकर उर्फ छोटू पुत्र राजबहादुर सोनकर निवासी कस्बा हनुमानगंज थाना राजापुर जिला चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(iii). **उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या थाना मऊ** तथा उनकी टीम द्वारा काशीनाथ का पुरवा वियावल से अभियुक्त रईस उर्फ नवल प्रसाद पुत्र भैयालाल निषाद निवासी काशीनाथ का पुरवा मजरा वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये तथा मौके से 60 किलो लहन नष्ट किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(iv). **उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या थाना मऊ** तथा उनकी टीम द्वारा काशीनाथ का पुरवा वियावल से अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छोटा पुत्र गुलजार निवासी काशीनाथ का पुरवा मजरा वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(v). **चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह** तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अमर पुत्र बाबूलाल निवासी बहादुरपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट अभियुक्त के कब्जे से 15 लीटर कच्ची देशा शराब व अभियुक्त भईलू पुत्र रमया निवासी राघवपुरी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब तथा अभियुक्त कारेलाल पुत्र दयला निवासी कटरागूदर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के कब्जे से 28 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गयी । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये ।

(vi). **उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपुरा** तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अवधेश पुत्र दुखीराम निवासी हरजन कलौनी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी । अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(5). आज दिनाँक-02.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव मय टीम के कर्वी शहर के ट्राफिक चौराहा, एसआईसी तिराहा, बस स्टैण्ड पर वाहन चेकिंग की गयी । इस वाहन चेकिंग में प्रतिबंधित स्थान पर गाड़ी खड़ी करना एवं गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाए पाए जाने पर कुल 9 वाहनों को 207 MV Act के तहत सीज किया गया, जिसमें 02 ई रिक्शा एवं 07 ऑटो सम्मिलित है । इस दौरान 14 ई-रिक्शा एवं ऑटो का पेण्डिंग ई-चालान किया गया ।

इस दौरान ई-रिक्शा चालकों एवं ऑटो चालकों को जागरुक किया गया कि वाहनों में लाउडस्पीकर न बजाये तथा ओवर सवारी न बैठायें, यातायात नियमों का पालन करें ।